प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त उप निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 265/ कम्प्युटर सेल(ई–गवर्नेंस)/2019–20 दिनांकः 25.06.2019

विषयः **वर्ष 2019–20 में नीली क्रान्ति की योजनाओं में डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तान्तरण व मासिक सूचनाओं का प्रेषण पोर्टल के सम्बन्ध से किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि आप की उपस्थिति में विभाग का योजनाओं से सम्बन्धी पोर्टल का दिनांक 31.05.2019 को प्रमुख सचिव मत्स्य द्वारा शुभारम्भ किया जा चुका है।

उक्त पोर्टल का मुख्य यू0आर0एल0 http://fymis.upsdc.gov.in है। आपको सूचित किया जा चुका है कि अपना पासवर्ड तत्काल बदल लें। दिनांक 01.06.2019 से नीली क्रांति योजना, मछुआ आवास, तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में इसी पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 के द्वारा धनराशियों का हस्तान्तरण लाभार्थियों के खाते में सीधे किया जायेगा। तद्सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं।

1– अतः पासवर्ड बदलते हुये वर्ष 2017–18 के बैकलाग परियोजना के लाभार्थियों, वर्ष 2018–19 की योजनाओं के लाभार्थियों जिनकी सूची निदेशालय पत्र संख्या 834/नि0शा0/दिनांक 17.05.2019 द्वारा प्रेषित की गयी, उनमें से सम्बन्धित लाभार्थियों का पंजीकरण तत्काल पूर्ण करा दिये जायें। पंजीकरण कराने हेतु जनपदीय अधिकारी/प्रभारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा लाभार्थियों के समस्त डाटा विशेष तौर पर बैंक खाता सम्बन्धी विवरण उन्हें सजगता से अंकित करें। उक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करते हुये दिनांक 30 जून, 2019 तक लाभार्थी अंश के सापेक्ष 60 प्रतिशत का भुगतान करना सुनिश्चित करें। वर्तमान में लाभार्थियों की द्वारा जो कार्य किये जा रहे है, उनके उक्त पत्र दिनांक 17.05.2019 के प्रस्तर–4 के अनुसार फोटोग्राफ व अभिलेख संरक्षित रखते हुये डी0बी0टी0 के समय उन्हें पोर्टल पर आप अपलोड भी करें।

2– उक्त पोर्टल के माध्यम से विभाग की मासिक सूचनायें इस माह से आपको प्रेषित की जानी है। अतः पोर्टल के माध्यम से मासिक सूचनाओं का प्रेषण ससमय सुनिश्चित किया जाये। सूचनाओं के ससमय प्रेषण हेतु सम्बन्धित उपनिदेशक मत्स्य का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

3– मत्स्य विभाग के विकसित उक्त साफ्टवेयर http://fymis.upsdc.gov.in के माध्यम से विभागीय योजनाओं , सूचनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन ऑनलाइन के माध्यम से किया जाना है । इस संबंध में आप सब से अनुरोध है कि, जैसे आप द्वारा डी.बी.टी हेतु पंजीकरण का कार्य किया या कराया जा रहा है, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर के विकसित अन्य कार्यक्रमों यथा मासिक सूचनाएं (MIS), कार्मिकों की व्यक्तिगत सूचनाएं (PIS), बजट, न्यायालय में लंबित वादों की सूचनाएं एवं Public grievances आदि कार्यक्रमों का भी उपयोग किया जाना है। अतः आप लोग विकसित सॉफ्टवेयर में जनपद से संबंधित प्रत्येक कार्यक्रमों के कम से कम 5 से 10 सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की विकसित सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। कृपया उक्त कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए सूचनाएं अपलोड करने के उपरांत तद्संबंधी प्रमाण पत्र निदेशालय को दिनांक 30 जून 2019 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2–4 के मूल नियम–11 से स्पष्ट व्यवस्था है कि जब तक "स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जाये, किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण काल सरकार हेतु होता है और बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किसी भी समय, किसी भी कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।" अतः उक्त तथ्यों से कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाये। लिपिक संवर्ग नियमावली के कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। अतः पूर्व के नियुक्त लिपिकों को अनिवार्य रूप से स्थानीय रूप से कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाने की कार्यवाही की जाये।

5– आप सभी को नये कम्प्यूटर प्रिन्टर सहित उपलब्ध कराये जा चुके है। यथाशीघ्र नीली कांति योजना से आकस्मिक व्यय/प्रशासनिक व्यय की मद के धनराशि आवंटित की जा रही है, जिससे वाई–फाई माडॅम व सिम का क्रय कर इण्टरनेट की सुविधा ले ली जाये। पोर्टल के उपयोग के सम्बन्ध में दिनांक 31.05.2019 को दिये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

25/6/2019

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned by CamScanner